

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल


कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632/5545

भोपाल, दिनांक 28/04/2021

--आदेश--

म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड के संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में म.प्र.मंडी बोर्ड मुख्यालय, मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयो तथा तकनीकी कार्यालयो एवं मंडी समितियो में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी जिनमे संविदा कर्मी भी सम्मिलित है, कोविड-19 से ग्रसित होने के कारण आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप एक मुश्त राशि 25.00 लाख (पच्चीस लाख मात्र) मृतक के आश्रित परिवार को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त क्षतिपूर्ति राशि केवल कोविड-19 महामारी के संक्रमण से मृत्यु के मामले में दी जायेगी। जो कि 01 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगी तथा क्षतिपूर्ति की राशि मुख्यालय स्तर से स्वीकृत की जावेगी।


(प्रियंका दास)


प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 28/04/2021

कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632/5546

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

- 1 विशेष सहायक मा. मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल।
- 2 निज सचिव प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 3 अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 4 अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 5 संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आ.का. (समस्त)।
- 6 कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड तक.संभाग (समस्त)।
- 7 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति जिला (समस्त)
- 8 समस्त अधिकारी/कर्मचारी
- 9 सूचना पटल।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल